

8-22

उपरोक्त स्थिति पीतासीन अधिकारी कार्यालय
कार्य से बाहर है। अवकाश पर है / पत्ररहित है।
अतः पत्रावली दिनांक 29.10.20 को पेश हो।

रीडर
उपखण्ड अधिकारी माण्डल

10
9-22

उपरोक्त स्थिति पीतासीन अधिकारी कार्यालय
कार्य से बाहर है। अवकाश पर है / पत्ररहित है।
अतः पत्रावली दिनांक 12.11.20 को पेश हो।

रीडर
उपखण्ड अधिकारी माण्डल

11-22

पत्रावली-चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत कैंप माण्डल में
पेश हुई, वकील प्रार्थीगण उपस्थित। अप्रार्थीगण के
सम्मन बाद शामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शामिल
पत्रावली किये गये। वकील प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र
स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर
शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फंसल शुमार
होकर नम्बर से कम हो।


उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा



राजस्थान न्यायालय
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, माण्डल जिला भीलवाड़ा (राज0)

तहसील अधिकारी- नारायण लाल जीनगर (आर0ए0एस0)

दस्तावेज संख्या- 133/22 प्रा.पत्र

श्री देवा लाल डी0 श्री सीमा गील निवासी- कैरिया रोड़ा, उर्फ अरवेपुरा तहसील- माण्डल (राज0)

-प्रार्थी

बनाम

श्री गोपी डी0 श्रुमा गील निवासी- कैरिया रोड़ा, उर्फ अरवेपुरा तहसील- माण्डल (राज0)
(सिद्धांकित प्राप्पत्र संख्या)

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा. अधि. 1956

::आदेश::

दिनांक - 12.11.22

ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन के ग्राम कैरिया रोड़ा पटवार हल्का- अरवेडा तहसील माण्डल में उसके पत खाते की आराजी नं. 411/52 कुल किता 07 रकबा 1.3532 अतः वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 02.08.22 को पंजीयद्ध किया जाकर प्रकरण को प्रार्थी से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगद्दी कराने का प्रार्थी वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य हैं।

::आदेश::

प्रार्थना पत्र धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम कैरिया रोड़ा पटवार 45 तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं. 416, 417, 418, 419, 450, 451, 452 कुल किता 07 रकबा 1.3532 हेक्टर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी हेतु पत्थरगद्दी किये जाने का आदेश किया जाता है। पत्थरगद्दी किये जाने हेतु भू-अभिलेख नोंद नं. 500-1 को 500-1 रूपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील विन्दु को आधार पत्थरगद्दी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगद्दी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल भीलवाड़ा

तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार जाकर पालना रिपोर्ट 07 दियस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल भीलवाड़ा